न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान मुन्दडा

राजस्व वाद संख्या : 94 / 2025
निर्णय दिनांक : 25.06.2025
दायर दिनांक – 19.06.2025

1. सोहन राम पुत्र प्रहलाद राम जाति नायक निवासी ग्राम लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादी

वनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान ....प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :–
1. श्री ओमप्रकाश घोटिया एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 34 तादादी 5.9431 हैक्टेयर वाके रोही भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिसका वर्तमान खाता संख्या 57 है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादगत खेत की संयुक्त खातेदारी में वादी का नाम सोहनलाल पुत्र प्रहलादराम दर्ज है, जबकि वादी का सही नाम सोहन राम पुत्र प्रहलाद राम है। जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सोहनलाल पुत्र प्रहलादराम दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में वास्तविक नाम सोहन राम पुत्र प्रहलाद राम है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोहनलाल पुत्र प्रहलादराम के स्थान पर सोहन राम पुत्र प्रहलाद राम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम सोहन राम पुत्र प्रहलाद राम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—ःआदेशः—

दावा वादी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान मुन्दड़ा में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 34 तादादी 5.9431 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम सोहनलाल पुत्र प्रहलादराम के स्थान पर सोहन राम पुत्र प्रहलाद राम दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान मुन्दड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D' 1)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा स्थान गुन्दड़ा

सोहन राम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 94 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री ओमप्रकाश घोटिया एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

खसरा संख्या 34 तादादी 5.9431 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम सोहनलाल पुत्र प्रहलादराम के स्थान पर सोहन राम पुत्र प्रहलाद राम दर्ज किया जावे।

.... बाबत .... मुबलिग .... फीरादी सालाना

चीज ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25 माह 06 वर्ष 2025**

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये